इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012—चैत्र 24, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. ई-5-561-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री टी. धर्माराव, आयएएस, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश की अवधि में श्री एस. एन. रूपला, आयएएस, कलेक्टर, जिला रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. रूपला, कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. ई-5-702-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, शहडोल को प्रभार श्री टी. धर्माराव, आयएएस., कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को सौंपा गया है.

(2) उक्त आदेश दिनांक 14 मार्च 2012 के पद-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री प्रदीप खरे की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, शहडोल का श्री टी. धर्माराव, आयएएस., कमिश्नर, रीवा संभाग के स्थान पर अब श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, शहडोल को सौंपा जाता है.

(3) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज दुबे, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र. ई. 1-112-2012-5-एक.—श्री मनोज झालानी, भाप्रसे (1987) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है.

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 9 से 28 अप्रैल 2012 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश की अवधि में श्री के. सुरेश, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुरेश, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. ई. 1-114-2012-5-एक.—वर्ष 2012 के गेहूं उपार्जन में प्रशिक्षण तथा सहायता के लिए निम्नलिखित भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों में दो माह के लिए संबद्ध किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री भाश्कर लक्षकार, भाप्रसे (2010), सहायक, सहायक कलेक्टर, शहडोल.	सहायक कलेक्टर, हरदा
2	श्री गणेश शंकर मिश्रा, भाप्रसे (2010), सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.	सहायक कलेक्टर, विदिशा
3	श्री आशीष सिंह, भाप्रसे (2010), सहायक कलेक्टर, कटनी.	सहायक कलेक्टर, रायसेन
4	श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे (2010), सहायक कलेक्टर, छिंदवाड़ा.	सहायक कलेक्टर, शाजापुर

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 21 से 31-3-2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विनोद कुमार की अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री विनोद कुमार द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. ई.-1-120-2012-5-एक.—श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे (1979), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, श्रम विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई. 1-19-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रुप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रसन्न कुमार दाश (1981), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. एफ-3-5-2012-एक-4.—राज्य शासन एतद्द्वारा जबलपुर जिले की जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, तिलहरी के आम एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन तथा झाबुआ जिले के अन्तर्गत विकासखण्ड, पेटलावद की ग्राम पंचायत, बामनिया, मुलथानिया एवं रामपुरिया के आम/उपनिर्वाचन हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रतियां संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 21 मार्च 2012 बुधवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ-37-12-2011-तीन-306.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9 (2) (क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा जबलपुर जिले की जनपद पंचायत, जबलपुर की ग्राम पंचायत, तिलहरी के आम निर्वाचन एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

क्र.		कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख	दिन और समय
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(i)	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	01-03-2012	प्रात: 10.30 बजे से (गुरुवार)
	(ii)	स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	उपरोक्तानुसार	
	(iii)	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.	23	उपरोक्तानुसार	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	28 (क)	09-03-2012	अपरान्ह 3.00 बजे तक (शुक्रवार)
3.	नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28 (ख)	10-03-2012	प्रातः 10.30 बजे से (शनिवार)
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	28 (ग)	12-03-2012	अपरान्ह 3.00 बजे तक (सोमवार)
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	12-03-2012	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (सोमवार)
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	21-03-2012	प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार)
7.	मतगणना	—	21-03-2012	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (बुधवार)
8.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (i) पंच, सरपंच के मामले में		22-03-2012	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (गुरुवार)

हस्ता/-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ-37-12-2011-तीन-309.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9 (2) (क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा झाबुआ जिले की विकासखण्ड पेटलावद की ग्राम पंचायत, बामनिया, मुलथानिया एवं रामपुरिया के आम निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

क्र.		कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख	दिन और समय
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(i)	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	01-03-2012	प्रातः 10.30 बजे से (गुरुवार)
	(ii)	स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क		उपरोक्तानुसार
	(iii)	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.	23		उपरोक्तानुसार
2.		नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	28 (क)	09-03-2012	अपरान्ह 3.00 बजे तक (शुक्रवार)
3.		नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28 (ख)	10-03-2012	प्रातः 10.30 बजे से (शनिवार)
4.		अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	28 (ग)	12-03-2012	अपरान्ह 3.00 बजे तक (सोमवार)
5.		निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	12-03-2012	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (सोमवार)
6.		मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	21-03-2012	प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	मतगणना	—	21-03-2012	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (बुधवार)
8.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा			
	(i) पंच, सरपंच, के मामले में		22-03-2012	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (गुरुवार)

हस्ता/-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. एफ-ए-5-04-2012-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री पी. के. जयसवाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ इंदौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	28-11-2011	01 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व दिनांक 27-11-2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. एफ-10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) तथा संशोधित अध्यादेश की धारा 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम-2 में विर्निदिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम-3 में विर्निदिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	अशासकीय सदस्यों के नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री अनुपम अनुराग अवस्थी	शहडोल
2	श्री अनिल कुमार द्विवेदी	शहडोल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभा चौधरी, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

एफ-4-5-03-चौवन-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के संविधान 1976 की धारा-6 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी में श्री सलीम कुरेशी, भोपाल को अध्यक्ष पद पर एवं श्री जाफर बेग, ऐडवोकेट मुरैना को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है.

(2) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. एफ-1 (ए) 40-2003-ब-2-दो.—श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., (समन्वय), पु. मु., भोपाल को दिनांक 07 से 20 अप्रैल 2012 तक कुल चौदह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 05, 06 एवं 21, 22 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. के. मुद्गल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु. मु., भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., (समन्वय), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., (समन्वय), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. (समन्वय), पु. मु. भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. एफ-1 (ए) 176-97-ब-2-दो.—श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) पु. मु., भोपाल को दिनांक 07 से 20 अप्रैल 2012 तक कुल चौदह दिवस के अर्जित अवकाश, दिनांक 05, 06 एवं 21, 22 अप्रैल 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव का कार्य श्री आर.एस. कौल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 257-1988-ब-2-दो.—डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे, संचालक/अति. मनि., खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex. India), दिनांक 06 मई 2012 (रविवार) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality), स्वीकार नहीं करेंगे.

3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे, भापुसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक/अति. मनि. खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 266-1986-ब-2-दो.—श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी. इन्दौर को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex. India), दिनांक 06 मई 2012 (रविवार) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality), स्वीकार नहीं करेंगे.

3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे का कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर द्वारा साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, भापुसे, भापुसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक/अति. मनि. खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी. भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. एफ-1 (ए) 105-1993-ब-2-दो.—श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 09 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल से 05 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07 से 10 मई 2012 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex. India), दिनांक 06 मई 2012 (रविवार) के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1 विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2 विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality), स्वीकार नहीं करेंगे.

3 विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री आर. के. चौबे, रापुसे, स. म. नि. (चयन), पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस अधीक्षक, भिण्ड के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. एफ-11-99-2007-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्र. 14.4 के संदर्भ में जारी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-20-1-2010-बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

क्र.	स्थान	तहसील	जिला	खसरा क्रमांक	कुल भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लेमा गार्डन, गोहालपुर	जबलपुर	जबलपुर	102/3	3.43

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-07).— राज्य शासन, श्री सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बसंतलाल अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बिलासपुर है. उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त, 1978 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-02).— राज्य शासन, सुश्री रीतिका मिश्रा पुत्री श्री श्याम बिहारी मिश्रा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है. उसकी जन्मतिथि 22 जुलाई, 1984 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-11).— राज्य शासन, श्री विनोद कुमार वर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर है. उसकी जन्मतिथि 18 अप्रैल, 1980 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-14).— राज्य शासन, श्री विजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री इन्द्र सिंह रावत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी, 1986 है.

क्र. फा. 3 (बी) 6-2011-इक्कीस-ब (एक), (मेरिट क्र.-16).— राज्य शासन, श्री आशीष कुमार केशरवानी पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद केशरवानी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) है. उसकी जन्मतिथि 22 फरवरी, 1979 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(बी)-17-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2004 द्वारा नियुक्त श्री राजेन्द्र तिवारी शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले दतिया का कार्यकाल दिनांक 1 दिसम्बर 2011 से तीन वर्ष 1 दिसम्बर 2014 तक वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 5 अगस्त 2015 को पूर्ण होगी).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

शुद्धि पत्र

फा. क्र. 17 (ई)-102-80-इक्कीस-ब (1).—राज्य शासन इस विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक 17 (ई) 102-80-इक्कीस-ब (1) दिनांक 24 फरवरी 2012 की चतुर्थ पंक्ति में अंकित ''रिपोर्टर'' के स्थान पर ''एडिटर'' पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पालीवाल, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

फा. क्र. 17(ई)-43-3835-इक्कीस-ब (एक).—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारी, जिनकी पदस्थापना सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है, उसके कालम (5) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय के लिये प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को उसके कालम (4) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर ग्राम न्यायालय आयोजित किये जाने के लिये नियुक्त करता है तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके (सारणी) कालम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा :—

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुनील मालवी	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
2	श्री कमलेश कुमार इतवाडिया	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट
3	श्री हिदायत उल्लाह खान	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
4	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	कोतमा	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा
5	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर
6	श्री दिलीप गुप्ता	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	चंदेरी
7	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
8	श्री अरूण श्रीवास्तव	सेंधवा	बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी*
9	श्री शशिकांत वर्मा	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
10	श्री रामगोपाल प्रजापति	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
11	श्री रतन कुमार वर्मा	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
12	श्री गंगा चरण शर्मा	लहार	भिण्ड	लहार	लहार
13	श्री विष्णु कुमार सोनी	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
14	श्रीमती वंदना जैन	बैरसिया	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
15	श्री राधेश्याम मडिया	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
16	श्री आनंद प्रिय राहुल	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर
17	श्री मुकेश कुमार डांडी	बिजावर	छतरपुर	बिजावर	बिजावर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	डॉ. पदमेश शाह	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
19	श्रीमती संतोषी वासनिक	पांढुर्णा	छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	पांढुर्णा
20	श्री ओमप्रकाश रजक	दमोह	दमोह	दमोह	दमोह
21	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	हटा	दमोह	हटा	हटा
22	श्री अनिल कुमार छापरिया	दतिया	दतिया	दतिया	दतिया
23	श्री मुकेश कुमार बाथम	सेवढ़ा	दतिया	सेवढ़ा	सेवढ़ा
24	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी	देवास	देवास	देवास	देवास
25	श्री साबिर अहमद खान	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
26	श्री सुरेश चन्द्र पाल	धार	धार	धार	धार
27	श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव	मनावर	धार	मनावर	मनावर
28	श्री सुरेन्द्र मेश्राम	डिन्डौरी	डिन्डौरी	डिन्डौरी	डिन्डौरी
29	श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनि.)	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा
30	श्री आलोक कुमार सक्सेना	गुना	गुना	गुना	गुना
31	श्री संजय श्रीवास्तव	चाचौड़ा	गुना	चाचौड़ा	चाचौड़ा
32	श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
33	श्री प्रदीप सोनी	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
34	श्री पंकज सिंह माहेश्वरी	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
35	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
36	श्री शिवबालक साहू	सोहागपुर	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर
37	श्री संजीव कुमार गुप्ता	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
38	श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
39	श्रीमती प्रिति सिंह	पाटन	जबलपुर	पाटन	पाटन
40	श्रीमती गीता सोलंकी	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
41	श्री जगदीश चन्द्र राठौर	थांदला	झाबुआ	थांदला	थांदला
42	श्री उमाशंकर अग्रवाल	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी
43	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला
44	श्री अखिलेश कुमार धाकड़	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर
45	श्री राकेश कुमार गोयल	गरोठ	मन्दसौर	गरोठ	गरोठ
46	श्री अरबिन्द कुमार (जैन)	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
47	श्री अरविन्द कुमार गोयल	अम्बाह	मुरैना	अम्बाह	अम्बाह
48	श्री राम सिंह कनौजिया	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
49	श्री नरसिंह बघेल	गाडरवारा	नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा
50	श्री हेमन्त जोशी	नीमच	नीमच	नीमच	नीमच
51	श्री राजेन्द्र कुमार	मनासा	नीमच	मनासा	मनासा
52	श्री रामप्रताप मिश्रा	पवई	पन्ना	1. पवई	1. पवई
				2. पन्ना	2. पन्ना*
53	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
54	श्री विवेक सिंह रघुवंशी	बरेली	रायसेन	बरेली	बरेली
55	श्री प्रहलाद सिंह केमथिया	ब्यावरा	राजगढ़	1. ब्यावरा	1. ब्यावरा
				2. राजगढ़	2. राजगढ़*
56	श्रीमती प्रिया शर्मा	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
57	श्री राजेश नन्देश्वर	जावरा	रतलाम	जावरा	जावरा
58	श्री सुधीर सिंह	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा
59	श्री उमाशंकर शर्मा	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
60	श्री रामजी गुप्ता	सागर	सागर	सागर	सागर
61	कु. सरिता वाधवानी	खुरई	सागर	खुरई	खुरई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव	सतना	सतना	सतना	सतना
63	श्री सुजीत कुमार सिंह	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
64	श्रीमती नोरिन निगम	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
65	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि.)	बुदनी	सीहोर	बुदनी	बुदनी
66	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
67	श्रीमती किर्ति कश्यप	लखनादौन	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन
68	श्री शरद भामकर	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
69	श्री खालिद मोहतरम अहमद	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
70	श्रीमती मनीषा बसेर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
71	श्री वैभव मण्डलोई	आगर	शाजापुर	आगर	आगर
72	श्री अशोक गुप्ता	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
73	श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
74	श्रीमती नीतू कांता वर्मा	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
75	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि.)	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
76	श्री उमा शंकर कुम्हार	मझौली	सीधी	मझौली	मझौली
77	श्री माखन लाल झोड़	बैढ़न	सिंगरौली	बैढ़न	बैढ़न
78	श्री सतीश कुमार गुप्ता	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़
79	श्री प्रदीप कुशवाह	निवाड़ी	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी
80	श्री बलराज कुमार पलोदा	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
81	श्री कमलेश भरकुडिया	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर
82	श्री माधव राव पटेल	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया
83	श्री विकास भटेले	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
84	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर	सिरोंज	विदिशा	सिरोंज	सिरोंज
85	श्री सुर सिंह कन्नौज	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर
86	श्री सूरज सिंह राठौर	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

नोट.— *न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी, पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17(E)-43-3835-XXI-B (1).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Nyayadhikari specified in Column (2) whose posting is specified in column (3) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every week for the Gram Nyayalaya specified in Column (5), within the Civil Districts specified in Column (4), and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in Column (6) thereof.—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Shri Sunil Malvi	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur
2	Shri Kamlesh Kumar Itvadia	Jobat	Alirajpur	Jobat	Jobat
3	Shri Hidayatullah Khan	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
4	Shri Sanjay Pal Singh Bundela	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Shri Manish Kumar Shrivastava	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
6	Shri Dilip Gupta	Chanderi	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi
7	Shri Rajdeep Singh Thakur	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
8	Shri Arun Shrivastav	Sendhwa	Barwani	1. Sendhwa	1. Sendhwa
				2. Barwani	2. Barwani*
9	Shri Shashikant Verma	Betul	Betul	Betul	Betul
10	Shri Ram Gopal Prajapati	Multai	Betul	Multai	Multai
11	Shri Ratan Kumar Verma	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
12	Smt. Ganga Charan Sharma	Lahar	Bhind	Lahar	Lahar
13	Shri Vishnu Kumar Soni	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
14	Smt. Vandana Jain	Berasia	Bhopal	Berasia	Berasia
15	Shri Radhe Shyam Madiya	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur
16	Shri Anand Priya Rahul	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
17	Shri Mukesh Kumar Dangi	Bijawar	Chhatarpur	Bijawar	Bijawar
18	Shri Padmesh Shah	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
19	Smt. Santoshi Vasnik	Pandurna	Chhindwara	Pandurna	Pandurna
20	Shri Om Prakash Rajak	Damoh	Damoh	Damoh	Damoh
21	Shri Raghuvir Prasad Patel	Hatta	Damoh	Hatta	Hatta
22	Shri Anil Kumar Chhapariya	Datia	Datia	Datia	Datia
23	Shri Mukesh Kumar Batham	Seodha	Datia	Seodha	Seodha
24	Shri Suresh Kumar Suryavanshi	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas
25	Shri Sabir Ahmed Khan	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
26	Shri Suresh Chandra Pal	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar
27	Smt. Sandhya Manoj shrivastav	Manawar	Dhar	Manawar	Manawar
28	Shri Surendra Meshram	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
29	Shri Manoj Kumar Tiwari (Sr.)	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
30	Shri Alok Kumar Saxena	Guna	Guna	Guna	Guna
31	Shri Sanjay Shrivastava	Chachoda	Guna	Chachoda	Chachoda
32	Shri Devendra Pal Singh Gour	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Gwalior
33	Shri Pradeep Soni	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
34	Shri Pankaj Singh Maheshwari	Harda	Harda	Harda	Harda
35	Shri mahendra Kumar Tripathi	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
36	Shri Shiv Balak Sahu	Sohagpur	Hoshangabad	Sohagpur	Sohagpur
37	Shri Sanjeev Kumar Gupta	Indore	Indore	Indore	Indore
38	Shri Sachindera Shrivastava	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
39	Smt. Preeti Singh	Patan	Jabalpur	Patan	Patan
40	Smt. Geeta Solanki	Jhabua	Jhabua	Jhabua	Jhabua
41	Shri Jagdish Chandra Rathore	Thandla	Jhabua	Thandla	Thandla

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Shri Uma Shankar Agrawal	Katni	Katni	Katni	Katni
43	Shri Tajinder Singh Ajmani	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla
44	Shri Akhilesh Kumar Dhakad	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
45	Shri Rakesh Kumar Goyal	Garoth	Mandsaur	Garoth	Garoth
46	Shri Arvind Kumar (Jain)	Morena	Morena	Morena	Morena
47	Shri Arvind Kumar Goyal	Ambah	Morena	Ambah	Ambah
48	Shri Ram Singh Kannojiya	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
49	Shri Narsingh Baghel	Gadarwara	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara
50	Shri Hemant Joshi	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Neemuch
51	Shri Rajendra Kumar	Manasa	Neemuch	Manasa	Manasa
52	Shri Ram Pratap Mishra	Pawai	Panna	1. Pawai 2. Panna	1. Pawai 2. Panna*
53	Smt. Divyangana Joshi Pandey	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
54	Shri Vivek Singh Raghuvanshi	Bareli	Raisen	Bareli	Bareli
55	Shri Prahlad Singh Kameathiya	Biaora	Rajgarh	1. Biaora 2. Rajgarh	1. Biaora 2. Rajharh*
56	Smt. Priya Sharma	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
57	Shri Rajesh Nandeshwar	Jaora	Ratlam	Jaora	Jaora
58	Shri Sudhir Singh	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa
59	Shri Uma Shankar Sharma	Sirmour	Rewa	Sirmour	Sirmour
60	Shri Ramji Gupta	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar
61	Ku. Sarita Wadhwani	Khurai	Sagar	Khurai	Khurai
62	Shri Sandeep Kumar Shrivastava	Satna	Satna	Satna	Satna
63	Shri Sujeet Kumar Singh	Nagod	Satna	Nagod	Nagod
64	Shri Norin Nigam	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore
65	Shri Rajesh Kumar Agrawal (Jr.)	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
66	Shri Sudeep Kumar Shrivastava	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
67	Smt. Kirti Kashyap	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon
68	Shri Sharad Bhamakar	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol
69	Shri Khalid Mohtaram Ahmed	Jaisinghnagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar
70	Smt. Maneesha Baser	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
71	Shri Vaibhav Mandloi	Agar	Shajapur	Agar	Agar
72	Shri Ashok Gupta	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
73	Shri Ramesh Kumar Murarilal Bhagwati	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
74	Smt. Neetu Kanta Verma	Karera	Shivpuri	Karera	Karera
75	Shri Rakesh Kumar Singh (jr.)	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
76	Shri Uma Shankar Kumhar	Majholi	Sidhi	Majholi	Majholi
77	Shri Makhan Lal Jhod	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78	Shri Satish Kumar Gupta	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh
79	Shri Pradeep Kushwaha	Niwari	Tikamgarh	Niwari	Niwari
80	Shri Balraj Kumar Paloda	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Ujjain
81	Shri Kamlesh Bharkundiya	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur
82	Shri Madhav Rao Patel	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria
83	Shri Vikas Bhatele	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
84	Shri Rajendra Singh Thakur	Sironj	Vidisha	Sironj	Sironj
85	Shri Sur Singh Kannoj	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar	Mandleshwar
86	Shri Suraj Singh Rathore	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

Note:—*Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Sehdhwa, Pawai & Biaora shall hold their sittings on Mondays & Fridays falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani, Panna & Rajgarh respectively.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2012

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 83, 84, 84-ए, 85 और 85-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुकमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"83.	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 84, 84-ए, 85 एवं 85-ए में यथा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
84.	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 84-ए, 85 एवं 85-ए में यथा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
84-ए	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद	नागौद तथा उचेहरा की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र.
85.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर	मैहर की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र.
85-ए	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन	अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र.".

टिप्पणी:—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E)-83-03-3056-XXI-B (1), 011.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (N0. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)-83-03-XXI-B (1) dated 16th September, 2010, which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 24th of September, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial numbers 83, 84, 84-A, 85 and 85-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"83.	Satna	IIIrd Additional Sessions Judge, Satna	All electricity Area of Civil District Satna of Satna Urban (excluding the jurisdication of special court at serial number 84, 84-A, 85 and 85-A).
84.	Satna	IVth Additional Sessions Judge, Satna.	All electricity Area of Civil District Satna of Satna Rural (excluding the jurisdiction of special court at serial number 84-A, 85 and 85-A).
84-A	Satna	Additional Sessions Judge, Nagod	All electricity area comprising of local limits of Nagod and Uchehra.
85.	Satna	Additional Sessions Judge, Maihar	All electricity area comprising of local limits of Maihar
.85-A.	Satna	Additional Sessions Judge, Amarpatan	All electricity area comprising of local limits of Amarpatan

Note:—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक),.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब (1), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची, में अनुक्रमांक 7-क, 8, 9, 11, 13, 14, 25, 32, 36, 38-क, 41, 42, 46, 49, 51 तथा 53 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"7-क.	श्री डी.एन. शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मंदसौर	तहसील मल्हारगढ़ तथा सीतामऊ के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के निवारण के लिये लंबित मामले.

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री बी.आर. पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर
9.	श्री अनिल कुमार सोहाने, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सागर.	सागर	सागर
11.	श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर
13.	श्री एम. सी. सोनी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	दमोह	दमोह
14.	श्री योगेश दत्त शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
25.	श्री राकेश शोत्रीया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.	मुरैना	मुरैना
32.	श्री जी.एस. दुबे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पूर्व निमाड़ खण्डवा.	खण्डवा (पूर्व निमाड़)	खण्डवा (पूर्व निमाड़)
36.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, राजगढ़.	राजगढ़	राजगढ़
38-क	श्री अरूण कुमार वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा रतलाम.	जावरा, रतलाम	जावरा, रतलाम
41.	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी
42.	श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.	सीधी	सीधी
46.	श्री डी.एस. सोलंकी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बड़वानी.	बड़वानी	बड़वानी
49.	श्री शिशिरकांत चौबे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर
51.	श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी
53.	कुमारी सुनीता सिरिल बरलो, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

1-6-89 XXI-B (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the

Chife Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amedments in this Department's Notification F. No.1-6-89-XXI-B (1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 17th April, 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 7-A, 8, 9, 11, 13, 14, 25, 32, 36, 38-A, 41, 42, 46, 49, 51 and 53 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area/Session division
(1)	(2)	(3)	(4)
7-A	Shri D. N.Shukla, Additional Sessions Judge, Mandsaur.	Additional Special Court, Mandsaur	Local Area of Tehsil Malahargarh, Sitamau and Pending Cases for trials in these cases.
8	Shri B. R. Patil, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur
9	Shri Anil Kumar Sohane, Additional Sessions Judge, Sagar.	Sagar	Sagar
11	Shri Krishna Murty Mishra, Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur
13	Shri M. C. Soni, Additional Sessions Judge, Damoh.	Damoh	Damoh
14	Shri Yogesh Dutta Shukla, Additional Sessions Judge, Hoshangabad.	Hoshangabad	Hoshangabad
25	Shri Rakesh Shotriya, Additional Sessions Judge, Morena.	Morena	Morena
32	Shri G. S. Dubey, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Khandwa.	(East Nimar) Khandwa	(East Nimar) Khandwa
36	Shri Pradeep Kumar Verma, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Rajgarh.	Rajgarh	Rajgarh
38-A	Shri Arun Kumar Verma, Additional Sessions Judge, Jaora Ratlam.	Jaora Ratlam	Jaora Ratlam
41	Shri Ramesh Kumar shrivastava Additional Sessions Judge, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri
42	Shri Akhilesh Chandra Shukla, Additional Sessions Judge, Sidhi.	Sidhi	Sidhi

(1)	(2)	(3)	(4)
46	Shri D. S. Solanki, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Barwani.	Barwani	Barwani
49	Shri Shishir Kant Choubey, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Sheopur.	Sheopur	Sheopur
51	Smt. Anjuli Palo, District & Sessions Judge, Dindori.	Dindori	Dindori
53	Ku. Sunita Ciril Barlow, Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) Burhanpur.	Burhanpur	Burhanpur

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 628–बंधक श्रम–2012.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, श्रीमन् शुक्ला, जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी, बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी, राजपुर, सेंधवा का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूं. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.	धारा	मनोनित सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 13(2)क	1. जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी	अध्यक्ष
2	धारा 13(2)ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य—	
		1. श्री भारत पिता गोविन्द भीलाला निवासी भागसूर तहसील, राजपुर.	सदस्य (अ.ज.जा.)
		2. श्री नेवल्याभाई जमरी मुकाम झिरपन पोस्ट बलवाड़ी तहसील सेंधवा.	सदस्य (अ.ज.जा.)
		3. श्री भगवती प्रसाद शिन्दे नि. बड़वानी	सदस्य (अ.जा.)
3	धारा 13(2)ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता—	
		1. श्री रमेशचन्द्र जैन निवासी बड़वानी	सदस्य
		2. श्री जगदीशचन्द्र पिता रामासा गुप्ता, निवासी राजपुर.	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
4	धारा 13(2)घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित—	
		1. पुलिस अधीक्षक जिला बड़वानी	सदस्य
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बड़वानी	सदस्य
		3. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, बड़वानी	सदस्य
5	धारा 13(2)ङ	वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य—	
		1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बड़वानी	सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बड़वानी

1	धारा 13(3)क	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़वानी	अध्यक्ष
2	धारा 13(3)ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य—	
		1. श्री बलवानसिंह प्रेमसिंह पटेल सुस्तीखेड़ा तहसील, बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		2. श्री जगन्नाथ सस्ते निवासी गंधावल तहसील पाटी जिला, बड़वानी	सदस्य (अ.ज.जा.)
		3. श्रीमति पुष्पा गोयल निवासी, बड़वानी	सदस्य (अ.जा.)
3	धारा 13(3)ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता—	
		1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता स्व. उमरावसिंह पटेल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बड़वानी.	सदस्य
		2. श्री नन्दराम पिता रमेश कुशवाह निवासी चांदशाह मोहल्ला, बड़वानी	सदस्य
4	धारा 13(3)घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित—	
		1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बड़वानी	सदस्य
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाटी	सदस्य
		3. तहसीलदार, बड़वानी	सदस्य
5	धारा 13(3)ङ	वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य—	
		1. प्रबंधक निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, बड़वानी	सदस्य
6	धारा 13(3)च	धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी—	
		1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट बड़वानी	

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, राजपुर

1	धारा 13(3)क	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजपुर	अध्यक्ष
2	धारा 13(3)ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य—	
		1. श्री ऐजीलाल पिता मांगीलाल भीलाला निवासी पीपरीबुजुर्ग तहसील राजपुर.	सदस्य (अ.ज.जा.)
		2. श्री कंवरलाल पिता कन्नीजी भीलाला निवासी मटली तहसील, राजपुर	सदस्य (अ.ज.जा.)
		3. श्री मुकेश पिता छगन निवासी ग्राम लिम्बई तहसील, राजपुर	सदस्य (अ.जा.)
3	धारा 13(3)ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता—	
		1. श्री विरेन्द्र पिता करतारसिंह मण्डलोई निवासी राजपुर	सदस्य
		2. श्री राजेन्द्र भावसार निवासी अंजड तहसील अंजड जिला बड़वानी	सदस्य
4	धारा 13(3)घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित—	
		1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजपुर	सदस्य
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ठीकरी	सदस्य
		3. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, राजपुर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
5	धारा 13(3)ङ	वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य 1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजपुर	सदस्य
6	धारा 13(3)च	धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजपुर	

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सेंधवा

1	धारा 13(3)क	1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सेंधवा	अध्यक्ष
2	धारा 13(3)ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य 1. श्री सीताराम पिता बोंदर निवासी पन्नाली पोस्ट धवली तहसील सेंधवा. 2. श्री गंगल्या पिता लटू निवासी हिन्दली तहसील सेंधवा 3. श्री सुभाष अभिमन चौहान निवासी मेहतगांव तहसील सेंधवा	सदस्य (अ.ज.जा.) सदस्य (अ.ज.जा.) सदस्य (अ.जा.)
3	धारा 13(3)ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री मोहनसिंग सोलंकी निवासी पांजरया तहसील सेंधवा 2. श्री राधेश्याम अग्रवाल निवासी धनोरा तहसील सेंधवा	सदस्य सदस्य
4	धारा 13(3)घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सेंधवा 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पानसेमल 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, निवाली	सदस्य सदस्य सदस्य
5	धारा 13(3)ङ	वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य 1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सेंधवा	सदस्य
6	धारा 13(3)च	धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेंधवा	

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 27 मार्च 2012

क्र.-स्वा.-पी.एच.-2012-234.—बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जायें.

अस्तु, मैं, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला बैतूल मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं कि:—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर:—

(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों व सब्जियों, मांस-मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी.

(ख) बासी मिठाईयां एवं नमकीन वस्तुओं, फल-सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शर्बत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस

प्रकार रखें जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण 2 (1-क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने, निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गईं अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिये जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके. जनहित में म. प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 के नियम 5(5) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेंगी. धारा 16 के तहत् दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है.

अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं :—

1. समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी.
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैतूल.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
6. जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित, पदाधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली-नालियों, गटरों पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी का हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, प्रभावशील रहेगा.

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. एफ. 67-276-10-तीन-539.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर** के आम निर्वाचन में **सुश्री रामप्यारी रैकवार,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर** के निर्वाचन

का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 342-स्था.निर्वा.-11 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री रामप्यारी रैकवार** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री रामप्यारी रैकवार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री रामप्यारी रैकवार को नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 नवम्बर, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि "**सुश्री रामप्यारी रैकवार** के कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात् इस कार्यालय को अभी तक इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है." कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री रामप्यारी रैकवार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. एफ. 67-276-10-तीन-540.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर** के आम निर्वाचन में **श्री दीनदयाल साहू,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 342-स्था.निर्वा.-11 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री दीनदयाल साहू** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री दीनदयाल साहू** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के माध्यम से दिनांक 24 नवम्बर, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री दीनदयाल साहू को नोटिस दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 5 नवम्बर, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 में लेख किया कि "**श्री दीनदयाल साहू** के कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात् इस कार्यालय को अभी तक इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन/ निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है." कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री दीनदयाल साहू** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत धुवारा, जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-174-10-तीन-567.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **सुश्री अहिरवार रामसखी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री अहिरवार रामसखी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री अहिरवार रामसखी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 8 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ

नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री अहिरवार रामसखी को नोटिस दिनांक 8 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 23 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुन: आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री अहिरवार रामसखी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-174-10-तीन-568.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **सुश्री पारवती मडोरी खंगार** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री पारवती मडोरी खंगार** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री पारवती मडोरी खंगार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री पारवती मडोरी खंगार को नोटिस दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 25 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुन: आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री पारवती मडोरी खंगार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 67-174-10-तीन-569.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **सुश्री शीला रामसेवक** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री शीला रामसेवक** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री शीला रामसेवक** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शीला रामसेवक को नोटिस दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि नोटिस में उल्लेखित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन संबंधित द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी को सुनवाई का एक मौका और देते हुए दिनांक 15 मार्च, 2012 को सुनवाई हेतु पुनः आहूत किया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री शीला रामसेवक** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत खरगापुर, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) वर्ष, की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 535-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बरौ कोठार	1.094	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के चचाई माइनर क्र. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 617-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	थोथौरा	0.264	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 619-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	लौलाछ	1.714	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 621-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि की उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	पिपराछा	0.304	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 683-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम

की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	टकटैया	0.07	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	टकटैया टेल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 685-भू-अर्जन-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गोंदहाई कोठार	0.280	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की मनगंवा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 687-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है

कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	भानपुर	0.190	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की सिलपरी वितरक की भानपुर माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 689-भू-अर्जन-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	धवैया	0.070	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक की धवैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अंर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 691-भू-अर्जन-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है

कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिवनी पैपखार	0.940	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक एवं पिपरवार वितरक की तिवनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 693-भू-अर्जन-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गोंदरी नं. 3	0.070	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 695-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के

संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	शुकुलगंवा	0.490	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की धवैया वितरक की शुकुलगंवा एवं सूरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 697-भू-अर्जन-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गोंदरी नं. 1	0.590	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग-रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की पिपरवार वितरक की गोंदरी माइनर नं. 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 20 मार्च 2012

क्र. 2637-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	झरियॉ प.ह.नं. 44/3.	निजी भूमि 0.390 हे. (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुरझड़, झिरिया, लालपुर मायनरों के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2638-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	झरियॉ प.ह.नं. 44/3	निजी भूमि 0.185 हे. (सरंचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत झरियॉ, मायनर क्र. 1 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2639-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	सुकली प.ह.नं. 5	निजी भूमि 0.084 हे. (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत सुकली वितरक नहर क्र. 2, निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2640-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	कपूरबिहरी प.ह.नं. 19	निजी भूमि 0.141 हे. (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत पुलपुट्टा वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2641-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	अर्जुनटोला प.ह.नं. 5	निजी भूमि 0.035 हे. (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2642-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	चाकाहेटी प.ह.नं. 5.	निजी भूमि 0.100 हे. (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2643-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	बम्हनी प.ह.नं. 4.	निजी भूमि 0.080 हे. (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत साहूटोला मायनर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2644-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	सुकडीघाट प.ह.नं. 5.	निजी भूमि 0.230 हे. (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना सं. क्र. 3 कटंगी, तहसील कटंगी जिला बालाघाट.	राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत सुकडीघाट वितरक नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना स. क्र. 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. 434-वाचक-प्र. क्र. 21-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कस्थली	3.711	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 440-वाचक-प्र. क्र. 22-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	गोपालपुरा	8.206	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 446-वाचक-प्र. क्र. 23-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	बीड़पुरा	14.307	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 452-वाचक-प्र. क्र. 24-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	टोंकी	21.520	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मनावर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 533-वाचक-प्र. क्र. 25-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	पिपलटोंका पूरक प. ह. नं. 16	0.034	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 153200 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 76 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 539-वाचक-प्र. क्र. 26-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	वायल पूरक प. ह. नं. 30	0.130	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 1130375 मी. से 135990 मी. के बीच मुख्य नहर के निर्माण से प्रभावित होने होने वाली भूमि.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	बिरसा ह. नं. 28	200.81	नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया.	हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-16 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	करंजिया ह.नं. 28	48.95	नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया.	हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 29 मार्च 2012

प्र. क्र. 14 -82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-2648.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सेमझिरा	206.678	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.-भू-अर्जन-78-(अ-82) 2011-12-241.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	धमनगांव	शीर्ष कार्य निजी		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	रकरिया जलाशय शेष शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 19	263	1.000		
		रा.नि.मं.,	265	0.740		
		शाहपुर.	267	0.240		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			266	0.680		
			268/1	0.200		
			270	0.120		
			277/1	0.400		
			277/2	0.390		
			योग . .	3.770		
			नहर कार्य निजी			
			5/2	0.100		
			5/1	0.040		
			6, 7	0.070		
			8	0.070		
			9	0.080		
			10	0.080		
			11	0.090		
			12	0.260		
			20	0.130		
			21	0.100		
			22	0.230		
			26	0.150		
			30/1	0.100		
			30/2	0.360		
			30/3	0.100		
			योग . .	1.960		
			कुल निजी भूमि . .	5.730		
			शासकीय भूमि			
			255, 260, 262, 269, 343, 236, 1, 27, 29	4.610		
			योग शा. भूमि . .	4.610		
			कुल भूमि . .	10.340		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-79-(अ-82) 2011-12-242.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	चौरा रै.	निजी भूमि		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 47	24/1	0.030		
		रा.नि.मं.,	24/5	0.210		
		अमरपुर	24/6	0.210		
			13/1	0.050		
			13/2	0.050		
			13/3	0.050		
			4/1	0.320		
			4/2	0.360		
			4/3	0.300		
			3/1	0.090		
			3/2	0.090		
			3/3	0.090		
			5/1	0.050		
			5/2	0.270		
			6	0.430		
			7	0.160		
			8/1	0.050		
			8/2	0.040		
			8/3	0.040		
			9/1	0.270		
			9/3	0.030		
			10/1	0.070		
			11/1	0.080		
			12/3	0.090		
			9/2	0.220		
			9/4	0.030		
			10/4	0.020		
			11/4	0.030		
			12/4	0.030		
			2	0.350		
			15/1	0.160		
			15/2	0.160		
			15/3	0.160		
			14	1.540		
			21/2, 24/3	0.020		
			योग निजी भूमि . .	6.150		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-80-(अ-82) 2011-12-243.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्र (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा.नि.मं. अमरपुर	बरसिंघा रै. प.ह.नं.-47	0.048	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, डिण्डौरी.	भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य एवं दांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	0.048		
		शासकीय भूमि .	.0.012		
		कुल योग . .	0.060		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-81-(अ-82) 2011-12-244.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सरई रैयत प.ह.नं. 01 रा.नि.मं., विक्रमपुर.	निजी निजी 1	0.310	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नागदमन जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
			3	0.860		
			4	0.185		
			5	0.920		
			6	0.820		
			52	0.580		
			83	0.290		
			7	1.160		
			8	0.210		
			74	0.360		
			49	0.010		
			51	0.010		
			53	0.160		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			54	0.210		
			55	0.210		
			56	0.040		
			57	0.370		
			72	0.200		
			58	0.420		
			59	1.590		
			75	1.290		
			61	2.080		
			62	2.080		
			64/1	1.800		
			64/2	1.800		
			64/3	1.600		
			65	0.230		
			69/1	0.710		
			70	0.140		
			71	0.140		
			73	0.360		
			76	0.460		
			77	0.460		
			78	0.460		
			79	0.920		
			132	0.020		
			69/2	0.700		
			योग निजी भूमि . .	24.165		
			शासकीय भूमि . .			
			68, 48, 60, 63, 2	3.82		
			योग शा. भूमि . .	3.820		
			कुल भूमि . .	27.985		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-82-(अ-82) 2011-12-245.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	नागदमन रै. प.ह.नं. 01 रा.नि.मं., विक्रमपुर	निजी निजी 74 75 81	0.020 0.800 1.080	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	नागदमन जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			76	0.070		
			77	1.140		
			82	0.090		
			84	0.120		
			85	0.400		
			87	0.030		
			108	0.080		
			110	0.300		
			89	0.380		
			90	0.940		
			109	0.680		
			1	0.140		
			2	0.080		
			3/1	0.470		
			3/2	0.470		
			योग निजी भूमि . .	7.290		
			शासकीय भूमि . .			
			86, 88,	3.38		
			92, 91			
			योग शा. भूमि . .	3.80		
			कुल भूमि . .	10.670		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-83-(अ-82) 2011-12-246.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	लुगदरा रै. प.ह.नं. 03	66	0.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भरद्वारा (अमनी) जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
			99	1.000		
			73	0.200		
			74	0.150		
			81	1.900		
			82	1.250		
			86	1.140		
			111	0.600		
			83	0.140		
			87	3.000		
			98	1.210		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			85	0.200		
			97	0.750		
			108	0.330		
			100	0.640		
			101/1	0.540		
			141/1	0.050		
			101/2	0.530		
			141/2	0.050		
			102	0.640		
			104	1.420		
			105	1.620		
			107	0.610		
			109	0.250		
			110	0.540		
			112	0.150		
			144	1.300		
			154	0.900		
			योग निजी भूमि . .	21.610		
			शासकीय भूमि . .			
			84, 65, 106, 103, 113, 143, 90	3.46		
			योग शा. भूमि . .	3.460		
			कुल भूमि . .	25.070		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च, 2012

क्र. 42-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	खोर	0.302	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			योग . . 0.302		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 43-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	तालापुर	1.015	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, डबरा.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.
		योग . .	1.015		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 44-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	मूंडरी	1.855	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, डबरा.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.
		योग . .	1.855		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 45-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	बनवार	13.139	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
		योग . .	13.139		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 46-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	मानिकपुर	3.632	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
		योग . .	3.632		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 47-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	अमरौल	3.499	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
		योग . .	3.499		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 48-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	टप्पा घाटीगांव	सिमरियाटांका	6.371	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
		योग . .	6.371		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 49-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	उर्वा	4.558	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
		योग . .	4.558		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 50-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	टोड़ा	1.429	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
		योग . .	1.429		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 51-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	निकौड़ी	2.735	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
		योग . .	2.735		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 3-अ-82-05-06-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम नं.बं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	कोलमुही प.ह.नं. 5 नं. बं. 526	2.37	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	कोयल मुही जलाशय की मुख्य नहर व पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कुण्डम, दिनांक 3 अप्रैल 2012

प्र. क्र. अ-82-11-12-भू.अ.अ.-कुण्डम-226-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम नं.बं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	पिटकुही प.ह.नं. 03 नं. बं. 615	0.22	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	पिटकुही जलाशय की मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. अ-82-11-12-भू.अ.अ.-कुण्डम-229-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम नं.बं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	के लिये वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	पिपरिया प.ह.नं. 1 नं. बं. 113	1.47	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	पिटकुही जलाशय की मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्र. 402-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	बोदली	3.001	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	बोदली जलाशय
		टिकरिया	9.120		
		धमनी	13.459		
		योग . .	25.580		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बोदली जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 404-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	चंदिया	घोघरी	37.690	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	घोघरी जलाशय
		छीरपानी	0.90		
		बड़ेखरा	1.250		
		सर्रा	0.65		
		योग . .	40.490		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—घोघरी जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 406-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	आमाडोगरी	38.900	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	आमाडोगरी जलाशय
		कुर्रिहा	1.650		
		योग . .	40.550		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—आमाडोगरी जलाशय योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 408-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	कोहका	47.730	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	कोहका जलाशय
		योग . .	47.730		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—कोहका जलाशय योजना, योजना शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. 533-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—मकरवट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.084 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
914	0.084	-
	योग : 0.084	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 20 मार्च 2012

पृ.क्र. 1 अ-82 वर्ष 2011-12 पत्र क्र. 10 भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—दहलवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.634 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.044
11	0.056
80/1क	0.048
82	0.028
6/1	0.120
83/1क	0.041
83/1ख	0.040
83/2,84	0.012
86	0.112
85	0.032
5	0.124
87/1	0.156
87/2	0.072
88/2	0.072
88/3	0.128
103/1	0.112
103/2	0.120
169/2	0.032

(1)	(2)
181/3	0.264
100/1	0.015
99/2	0.040
99/1	0.004
98	0.032
127/1	0.072
127/2	0.072
138/1	0.064
169/1	0.256
181/5	0.092
181/2	0.096
7/3	0.064
13	0.024
9/1	0.044
12	0.044
9/2	0.032
14/2	0.016
15/6	0.024
102	0.030
कुल योग :	2.634

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—कान्हारगांव से गोलगांवखुर्द सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गाडरवारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगौन, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. 450-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगौन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—सांगरदा
(घ) क्षेत्रफल—3.190 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.210
3/1/1	1.010
3/2	0.310
18/9	0.550
20/1, 20/4	0.440
20/2	0.060
20/3	0.450
21, 22	0.160
कुल योग :	3.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 451-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगौन
(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—चिखली

(घ) क्षेत्रफल—3.655 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/1/2	0.070
25/2	0.077
25/3	0.015
27/1/2	0.320
27/2	0.243
27/3	0.080
28	0.480
30/1	0.050
31/1	0.050
101/2/1	0.130
112/2	0.130
112/3	0.500
114/1 | 114/4	0.540 | 0.060
114/2/2	0.640
114/2/2/1	0.240
114/2/2/2	0.030
कुल योग :	3.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 452-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगौन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—सोमाखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल—3.750 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/1	0.820
21/2	0.280
22/1/1	0.080
22/1/2	0.460
22/2	0.350
23/1	0.330
45/1	0.550
46/1	0.380
46/2	0.500
कुल योग :	3.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 453-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगौन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—भुदरी

(घ) क्षेत्रफल—9.790 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227/1/1	0.365
227/1/2	0.775

(1)	(2)
229	0.780
236/2	0.120
237/1/1	0.300
240/2	0.330
241/1	0.400
242	0.510
267/1	0.860
267/2	0.710
267/3	0.425
268/1	0.750
268/2/1	0.160
268/2/2	0.075
268/2/3	0.010
313, 314/1, 315/1	1.860
314/2, 315/2	0.630
316	0.475
317	0.255
कुल योग :	9.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 454-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—खरगौन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—गुलावड़
- (घ) क्षेत्रफल—8.574 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.270
14/2	0.315
15	0.010
18	1.180
51	0.320
52	0.240
53/1	0.530
67/1	0.100
68	0.220
69	0.305
70	0.115
71, 72	0.080
74/1	0.470
86	0.230
87/1	0.070
89/2	0.384
90/1	0.190
90/2/1	0.105
90/2/2	0.100
91/1	0.420
148/3	0.420
148/4	0.275
149/2	0.370
151/2	0.585
152/2/2	0.150
153/1	0.440
158/1/1	0.085
159/1, 160/1	0.175
159/2, 160/2	0.245
161/1	0.055
161/2	0.090
162/1	0.030
कुल योग :	8.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगौन, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र. 467-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगौन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—निमटोका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.174 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/93	0.881
45/2	0.030
46	0.030
47	0.010
50	0.020
51	0.607
53/1	0.627
55	0.525
56/1	0.821
56/2	0.445
56/3	0.360
58/3	0.490
58/5	0.075
58/6	0.243
65	0.010
कुल योग :	5.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगौन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 26 मार्च 2012

प्र. क्र. 51-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बंधौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.22 हेक्टेयर.

सर्वे नं	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1150/2	0.784	0.19
1150/3	0.574	–
1150/4	0.167	–
1150/5	0.366	–
1150/6	0.418	–
1150/7	0.094	–
1211	0.773	0.21
1218	1.275	0.24
1219	0.136	0.03
1210	1.045	0.26
1213	0.397	0.16
1220	0.314	0.03
1179	0.052	0.08
1179/1		–
1180/2	0.105	0.02
	योग :	1.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च 2012

प्र. क्र. 28-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—भितरवार

(ग) ग्राम—भीतरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.086 हेक्टेयर.

सर्वे नं	कुल रकबा (हे.में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
79	0.430	0.090
77	0.35	0.048
63	0.75	0.078
87	0.31	0.006
62मिन	0.39	0.114
62मिन	0.83	
86	0.41	0.072
91	0.35	0.048
88	0.22	0.084
89	0.40	0.096
100	0.47	0.066
101	0.34	0.084
141	0.07	0.024
142	0.65	0.084
151	0.20	0.042
150	0.14	0.024
153	0.39	0.054
157	0.58	0.072
	योग :	1.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2012

प्र. क्र. 11-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—भदरौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.404 हेक्टेयर.

सर्वे क्र.	कुल रकबा (हे.में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
830	0.190	0.035
834	0.280	0.045
835	0.520	0.024
842	1.050	0.109
843	1.050	0.090
854	1.050	0.101
	कुल योग :	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—जलालपुर पिक-अप-वियर की दायीं तट नहर की सेंथरी मायनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—भितरवार

(ग) ग्राम—चिटौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.825 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे.में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
9	0.910	0.329
36	0.888	0.113
35	0.994	0.102
13मिन	0.120	
13मिन	0.120	0.011
13मिन	0.418	
12/1/1	0.556	
12/1/2	0.556	
12/1/3	0.556	
12/2	1.045	
12/3क-1	0.418	
12/3क-2	0.582	0.270
12/3ख	1.000	
12/3ग-1	0.070	
12/3ग-2मि		
12/3ग-2मि	0.073	
12/3ग-2मि	0.178	
12/4	0.951	
	कुल योग : 0.825	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 मार्च 2012

प्र.क्र. 4-ए-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—बवचिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.088 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.171
4	0.016
6	0.260
5	0.467
15/3	0.074
16	0.460
61	0.081
19	0.256
50	0.165
49	0.480
46	0.187
206	0.082
47	0.211
48	0.099
207	0.206
204/1	0.349
205/1	0.215
204/2	0.276
224	0.215
225	0.281
226	0.209
227	0.331
240	0.409
239	0.207
270	0.033
375	0.057
241	0.352
367	0.138
385	0.102
389	0.102
386	0.173
390	0.414
223	0.024

(1)	(2)
395/2	0.505
395/3	0.099
97	0.237
100	0.299
101	0.052
102	0.244
103	0.230
104/2	0.072
309	0.165
308	0.135
307	0.150
305/1	0.086
305/2	0.086
304/1	0.110
303	0.313
323/1	0.216
323/2	0.036
324	0.216
300	0.237
25/1	0.036
26/1	0.309
26/2	0.118
27/2	0.162
45/1	0.037
31	0.032
32/1	0.186
34/1	0.097
32/4	0.118
41	0.111
402/1/1	0.121
402/2/1	0.110
402/1/2	0.204
402/2/2	0.210
402/2/2	0.097
404/1	0.463
404/1	0.256
410	0.162
410	0.305
409/8	0.135
योग :	14.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 13-ए-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—खडेह

(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.616 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.091
1/2	0.015
1/3	0.081
1/4	0.081
1/5	0.070
1/6	0.059
1/7	0.059
1/8	0.016
2/3	0.010
21/2	0.059
24/5	0.081
24/6	0.102
24/7	0.118
24/8	0.081
566	0.027
564/2	0.189
565	0.043
568	0.264
242/2	0.156
866	0.129
882/1	0.027
885	0.140
886/1	0.051
544	0.243
546/1	0.108
547	0.032
558	0.054

(1)	(2)	(1)	(2)
109	0.027	5/1	0.016
111	0.361	8 मि.	0.048
113	0.108	9	0.135
119	0.426	585/2	0.248
114	0.145	580	0.297
139	0.248	581	0.259
175	0.135	582	0.091
211/3	0.043	584	0.129
212/1	0.186	586	0.140
212/2	0.100	641	0.091
214/1	0.173	642/2	0.183
214/2	0.140	637	0.124
217	0.027	638/1	0.050
236	0.194	638/2	0.170
886/2	0.100	628/2	0.032
889	0.172	682	0.270
890	0.054	681	0.496
887	0.027	687/1	0.113
891	0.345	663/1	0.081
892 मि.	0.361	1033	0.135
919	0.432	662	0.140
922 मि.	0.140	658	0.837
867	0.162	743	0.388
877	0.216	753	0.480
882	0.021	752	0.027
884/1	0.066	749	0.052
884/2	0.045	751	0.243
884/3	0.045	762	0.421
885/5	0.027	766	0.421
878/1	0.108	1101	0.016
878/2	0.108	1102	0.064
869	0.027	664	0.016
901	0.259	49	0.143
902 मि.	0.070	50	0.272
902 मि.	0.070	79	0.158
905	0.194	81	0.189
906	0.221	82	0.347
909	0.010	93	0.173
941	0.010	94	0.105
942	0.017	138	0.204
876/2	0.021	141	0.378
946	0.021	149	0.360
6	0.016	152	0.302
7	0.426	156	0.396

(1)	(2)
165	0.144
241	0.043
240	0.237
242/1	0.037
242/2	0.150
243	0.172
361	0.032
815	0.156
816	0.286
817	0.059
819	0.259
828	0.054
849	0.216
852	0.205
807	0.135
808/2	0.102
1040/3	0.037
1053	0.162
1054	0.178
1055	0.120
1056	0.030
1061	0.126
1062	0.131
1063	0.131
1068	0.020
1069	0.065
898	0.016
920	0.016
908	0.180
938	0.150
939	0.418
629/1	0.170
629/2	0.189
891/1125	0.380
1067	0.080
योग :	22.616

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—नटेरन

(ग) ग्राम—रावन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.104 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159/2	0.502
176/1	0.166
176/2	0.166
173/2	0.200
178/1	0.200
181/1	0.318
181/2	0.307
180/2	0.718
181/3/4	0.335
181/3/3	0.222
183	0.118
184/4क	0.765
186/1	0.236
182	0.162
237/2/1	0.623
237/1	0.385
237/2/2	0.378
186/2	0.149
186/3/1	0.388
186/3/2	0.370
192/1	0.045
193/1	0.923
193/2क	0.196
193/2ख	0.366
196/1	0.225
196/2/2	0.046
196/2/3	0.070
196/2/4	0.057
196/2/5	0.057
196/2/6	0.121

(1)	(2)
196/2/1	0.270
199/1/2	0.236
199/1/1	0.200
199/4	0.365
200/1	0.139
200/3	0.127
200/4	0.139
205/3	0.079
205/1	0.079
206/2	0.180
205/4	0.103
204/2	0.216
203	0.090
236/2क	0.540
234/1	0.261
250	0.027
251	0.063
253/1	0.089
119/1	0.069
253/3	0.073
119/3	0.069
254	0.198
118	0.171
255	0.090
160	0.180
149/1	0.321
149/2	0.078
239/3	0.159
239/1ख	0.149
149/3	0.096
147/3/2	0.240
148/3क	0.244
148/3ख	0.143
147/5	0.254
147/4	0.188
147/2	0.188
147/1	0.183
239/1क	0.256
239/2	0.021
119/2	0.069
120/3/1	0.249
120/3/2	0.156
730/3	0.099
731/1	0.089
731/2	0.361
782/1	0.200
782/2	0.205
738/1	0.315
739/1	0.567
740/3	0.252
746/1/1क	0.117
781/2	0.234
792	0.180
790	0.198
789/2	0.162
800	0.405
799	0.450
552/1/1क	0.089
552/1/1घ	0.423
552/1/4	0.245
552/2	0.737
554/1/2	0.057
554/1/1	0.113
554/2/2	0.190
565/2	0.072
550	0.360
566	0.333
567/1	0.278
567/2	0.154
576/4	0.052
576/5	0.074
568	0.144
551/1	0.050
551/2	0.220
548	0.306
547	0.270
540/1	0.500
540/2	0.205
539	0.105
538	0.432
योग :	25.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

प्र.क्र. 1-अ-82-08-09-भू-अर्जन-12—**संशोधित.**—लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर ने वर्तमान में पहूंच मार्ग की लम्बाई में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कारण म. प्र. राजपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित धारा 6 की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—मालकछार, नं.बं. 359, प.ह.न. 59
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.97 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु पूर्व में प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/1	0.10
54/1	0.01
54/2	0.02
54/3	0.01
54/4	0.01
55/1	0.01
55/2	0.02
55/3	0.01
55/4	0.01
77/1	0.04
77/2	0.04
77/3	0.04
77/4	0.04
81	0.02
82	0.01
83	0.01
131	0.05
135/1	0.10
193	0.13
199	0.32
200/2	0.05
209/3	0.12
210/1	0.03
201/2	0.03
211/1	0.07
211/2	0.07
221	0.05
222/1	0.05
223	0.04
224	0.20
	योग : 1.71

वर्तमान में प्रस्तावित खसरा नं.	वर्तमान में प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/9	0.10
81	0.05
82	0.01
131	0.02
135/1	0.10
200/2	0.05
209/6	0.12
210/1	0.03
210/2	0.03
211/1	0.06
211/2	0.06
221	0.05
222/1	0.05
223	0.04
224	0.20
	योग : 0.97

प्र.क्र. 2-अ-82-08-09-भू-अर्जन-12—**संशोधित.**—लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर ने वर्तमान में पहुंच मार्ग की लम्बाई में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कारण म. प्र. राजपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित धारा 6 की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची

के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—भडपुरा, नं.बं. 319, प.ह.न. 60
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु पूर्व में प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
485	0.05
486	0.06
494	0.09
495	0.07
496/1	0.07
563	0.09
650	0.01
652	0.01
653	0.07
660	0.12
673	0.04
योग :	0.66

वर्तमान में प्रस्तावित खसरा नं.	वर्तमान में प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
485	0.05
486	0.06
493	0.07
494	0.09
495	0.07
660	0.12
673/1	0.04
योग :	0.50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्र.-भू-अर्जन-1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—मुंगावली
(ग) नगर/ग्राम—बर्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.103 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48/1मि.	0.021
64 मि.	0.082
योग :	0.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—कैथन डायवर्सन सिंचाई योजना हेतु स्थाई अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण—भू-अर्जन अधिकारी, मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

अशोकनगर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-114-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—अशोकनगर

(ग) ग्राम—बरखेड़ा छज्जू

(घ) लगभग क्षेत्रफल—92.413 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215 मिन.	0.523
217	0.376
218	0.565
219	0.763
220/1	0.679
220/2	0.627
220/4	0.836
220/5	0.785
220/7	0.328
242/1	0.228
242/2	0.054
243	0.408
246	0.105
247	0.324
248	0.115
249	0.125
250	0.261
261	0.200
293	0.282
294/1मि.	2.269
295	0.711
296	0.146
297	0.230
299	0.105
364/1मि.	0.500
364/2	0.500
371/1मि.	0.157
371/2	0.157
371/3	0.209
372/1	1.000
372/2	1.000
372/3	0.209
372/4क	0.500
373/1	1.000
373/2	0.926
373/3	1.000
374	0.408
375/1	2.090
375/2	0.836
375/3	1.108
376	0.554
381	1.797
382	0.648
383	0.408
384/1	0.773
384/2	0.052
385	0.042
386/1	0.500
386/2	0.294
387/1	0.627
387/2	0.627
387/3	0.627
387/4क	1.118
387/4ख	1.000
388	0.836
389/1क	0.251
389/1ख	1.003
389/2	1.212
390	0.397
391	0.293
392	0.397
393मि.	0.069
393मि.	0.328
394	0.052
395	0.376
397	0.272
398	0.269
399	0.324
401	0.073
402	0.073
403	0.157
405	0.136

(1)	(2)
408	0.136
410/1	0.059
410/2	0.029
410/3	0.029
410/4	0.029
411	0.125
413	0.471
415/1	0.029
415/2	0.032
415/3	0.075
416	0.052
417	0.073
418	0.115
419	0.084
420	0.251
421	0.073
422	0.428
423	0.627
425	0.366
426	0.846
427	0.418
428	1.379
429	0.428
430/1	0.209
430/2	0.125
431	0.314
432/1क	1.000
432/1ख	1.000
432/2	1.271
433	0.261
434	0.428
435	0.867
436/1क	0.344
436/1ख	0.492
436/2क	0.389
436/2ख	0.604
437	0.648
438	2.581
439	0.282
440	0.752
441	0.010
442/1	0.251
442/2	0.079
442/3	0.443
443	0.240
444/1	0.418
444/2	0.658
445/1	0.068
445/2	0.716
446	2.916
447/1	0.700
447/2	0.806
447/3	1.107
449/1क	0.809
449/1ख	0.818
449/1ग	0.808
449/1घ	1.245
449/1ङ	0.835
449/2	2.090
450/1	2.414
450/2	0.920
451/1क	2.075
451/1ख	0.893
467/1 में से	0.125
467/2 में से	1.672
468/1	1.254
468/2ख	0.627
469/1	4.431
469/2	2.717
470/1	2.508
470/2	0.809
470/3क	1.000
योग :	92.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरखेड़ा छज्जू बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 28 मार्च 2012

प्र.क्र. 01-2011-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पोहरी
(ग) ग्राम—बूडदा
(घ) कुल क्षेत्रफल—89.112 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर नम्बर (1)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
3	0.220
4	0.400
5	0.110
6	0.240
7	0.130
8	0.150
9	0.580
11	0.010
13	0.570
14	0.030
15	0.460
17	0.040
18	0.180
20	0.010
22	0.020
23	0.060
24	0.110
25	0.280
26	0.180
27	0.190
28	0.280
29	0.210
32	0.170
33	0.060
35	0.200
36	0.270
37	0.270
38	0.180
39	0.290
40	0.280
41	0.280
42	0.240
43	0.160
44	0.250
45	0.130
46	0.190
47	0.120
48	0.320
49	0.170
50	0.160
51	0.190
52	0.030
53	0.310
54	0.410
55	0.330
56	0.410
57	0.160
58	0.240
60	0.130
61	0.100
62	0.410
64	0.100
65	0.100
66	0.240
67	0.100
68	0.200
69	0.290
70	0.290

(1)	(2)	(1)	(2)
71	0.250	121	1.160
73	0.270	124	0.180
74	0.200	125	0.290
75	0.020	126	0.320
76	0.320	127	0.430
77	0.290	130	0.200
79	0.460	139	0.230
80	0.420	141/1	0.070
82	0.310	143/1	0.290
83	0.280	143/2	0.09
84	0.080	145	0.520
85	0.080	146	0.420
86	0.170	148	0.180
87	0.170	151	1.130
88	0.350	152	1.400
89	0.160	153	1.410
91	0.090	154	0.840
92	1.040	155	0.190
93	0.250	156	0.470
94	0.300	157/2	1.500
95	0.200	158	1.000
96	0.370	159	1.000
97	0.370	160	1.00
98	0.200	161	0.730
99	0.190	163	0.160
100	0.310	164	0.730
101	0.200	179	0.060
103	0.110	180	0.090
108	0.290	181	0.130
109	0.250	182	0.07
110	0.250	183	0.120
111	0.190	184	0.090
112/1	0.190	185	0.120
112/2	0.200	186	0.200
113	0.360	187	0.060
114	0.080	188	0.260
115	0.010	191	0.070
116	0.020	192	0.080
117	0.040	193	0.020
118	0.270	194	0.020
119	0.290	195	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
196	0.090	245	0.080
197	0.130	246	1.270
199	0.090	247	0.140
200	0.010	248	0.300
201	0.080	249	0.430
202	0.010	251	0.430
204	0.140	252	0.610
205	0.120	253	0.540
206	0.140	254	1.40
207	0.140	255	0.09
208	0.010	256	0.03
209	0.120	257	0.94
210	0.060	258/2	0.01
211	0.110	261	0.820
212	0.850	262	0.190
213	0.16	263	0.180
214	0.150	264	0.340
215	0.160	265	0.060
216	0.200	266	0.190
217	0.070	267	0.02
218	0.070	268	0.01
219	0.17	269	0.660
220	0.090	270	0.44
221	0.090	271	0.140
222	1.940	319	0.25
225	0.070	320	0.100
226	0.090	321	0.160
227	0.260	322	0.120
229	0.01	326	0.06
230	0.250	327	0.130
231	0.190	328	0.160
233	0.220	329	0.210
234	0.240	332	0.860
235	0.170	339	0.210
236	0.060	342	0.040
237	0.110	343	0.880
238	0.130	346	0.100
239	0.240	347	0.160
240	0.250	348	0.210
241	0.300	349	0.180
244	1.680	350	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
352	0.440	407	0.290
353	0.170	408	0.040
357	0.32	410	0.110
360	0.030	411	0.110
361	0.350	412	0.250
362	0.400	413	0.220
363	0.100	414	0.090
364	0.240	415	0.30
365	0.010	416	0.100
366	0.530	417	0.210
368	0.270	418	0.190
369	0.250	419	0.030
370	0.080	420	0.370
371	0.240	421	0.330
372	0.25	422	0.010
373	0.020	423	0.040
374	0.010	427	0.180
376	0.020	428	0.090
380	0.050	430	0.140
381	0.250	431	0.410
382/1	0.010	432	0.180
382/2	0.070	433	0.180
383	0.220	434	0.29
386	0.300	441	0.040
387	0.05	449	0.060
388	0.06	450	0.060
389	0.18	451	0.060
390	0.24	452	0.02
391	0.50	453	0.020
392	0.17	454	0.050
393	0.050	455	0.050
394	0.040	456	0.050
396	0.040	457	0.130
397	0.150	465	0.020
398	0.120	469	0.46
399	0.020	471	0.160
401	0.020	474	0.040
403	0.180	475	0.01
404	0.180	476	0.050
405	0.090	477	0.010
406	0.240	478	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
479	0.010	558	0.030
482	0.05	559	0.030
484	0.040	560	0.060
485	0.020	563	0.060
486	0.020	564	0.030
487	0.020	565	0.030
488	0.110	566	0.060
489	0.080	568	0.010
490	0.040	569	0.020
491	0.020	570	0.030
493	0.010	571	0.080
496	0.050	578	0.020
497	0.020	579	0.040
498	0.040	581	0.100
499	0.140	582	0.010
500	0.020	583	0.010
501	0.150	584	0.010
502	0.050	586/1	0.06
503	0.010	586/2	0.030
504	0.150	591	0.020
507	0.060	592	0.040
509	0.120	596	0.010
514	0.190	597	0.030
528	0.090	599	0.010
529	0.030	600	0.090
530	0.050	601	0.200
531	0.050	602	0.050
532	0.080	603	0.02
534	0.050	604	0.01
535	0.050	608	0.020
536	0.030	609	0.030
537	0.010	617/1	0.010
538	0.010	617/2	0.01
539	0.040	618	0.020
540	0.010	624	0.010
541	0.030	626	0.020
542	0.030	627	0.010
543	0.020	628	0.010
544	0.030	629	0.020
545	0.030	630	0.010
547	0.050	631	0.030
549	0.020	634	0.050
555	0.040	635	0.040

(1)	(2)
638	0.020
639	0.030
641	0.04
642	0.02
683	0.05
684	0.01
685	0.030
686	0.030
687	0.060
688	0.030
689	0.040
690	0.060
691	0.040
692	0.030
694	0.030
695	0.050
699	0.01
700	0.05
714	0.10
722	0.010
723	0.020
724	0.010
725	0.03
726	0.020
727	0.010
728	0.010
732	0.01
758	0.120
759	0.020
760	0.020
761	0.060
762	0.030
763	0.030
765	0.080
771	0.110
775	0.060
776	0.07
777	0.020
780	0.020
784	0.10
786	0.030
787	0.060
789	0.040
796	0.060
797	0.160
798	0.050
799	0.070
803	0.040
804/1	0.050
814	0.170
815	0.48
816	0.110
817	0.080
818	0.070
819	0.100
820	0.160
821	0.770
823	0.080
824	0.160
826	0.050
827	0.310
828	0.150
829	0.560
830	0.010
831	0.010
832	0.520
834	0.03
837	0.090
839	0.650
840	0.250
842	0.390
843	0.420
847	0.250
848	0.40
849	0.49
851	0.190
853	0.110
854	0.630
856	0.150
857	0.50
858	0.01
	योग : 89.112

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 31, मार्च 2012

क्र.-क्यू.-भू-अर्जन-2012-423.—चूंकि, राज्य शासन को इस बाद का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—सोन्हर-II
(घ) कुल क्षेत्रफल—12.49 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2638	0.23
2630	0.27
2579	0.07
2578	0.28
634	0.04
1012	0.02
475	0.04
260	0.18
257	0.10
264	0.05
252	0.04
250	0.06
242	0.17
240	0.04
235	0.12
1083	0.08
1129	0.04
1160	0.08
1128	0.16
1127	0.07
(1)	(2)
1137	0.03
1138	0.11
1139	0.08
1105	0.03
1140	0.10
1141	0.03
1159	0.03
1162	0.05
1183	0.06
1189	0.25
993	0.08
997	0.13
996	0.14
999	0.15
2634	0.06
998	0.10
799	0.06
797	0.15
796	0.17
786	0.05
785	0.08
787	0.07
788	0.07
2541	0.10
2393	0.05
736	0.07
735	0.06
734	0.05
733	0.05
247	0.08
270	0.07
265	0.07
266	0.09
267	0.04
2584	0.02
2637	0.28
2636	0.10
2633	0.07
2631	0.05

(1)	(2)
2628	0.39
2629	0.03
2613	0.11
2601	0.08
2600	0.44
2599	0.12
2594	0.04
2593	0.04
2592	0.02
2581	0.28
2591	0.07
2580	0.08
2575	0.15
2574	0.06
2572	0.29
2590	0.16
2585	0.13
2582	0.02
2563	0.34
2543	0.06
2542	0.08
2538	0.08
2472	0.04
2471	0.04
2468	0.20
2467	0.06
2466	0.10
2465	0.02
2460	0.05
2459	0.06
2457	0.06
2458	0.03
2573	0.02
2403	0.03
2402	0.02
2401/1, 2401/2	0.08
2391	0.07
2400	0.08
2399	0.04
2395	0.04
2392	0.04
821	0.04
818	0.11
817	0.03
816	0.04
812	0.14
633	0.02
629	0.14
627	0.14
617	0.08
605	0.08
1000	0.02
616	0.16
527	0.08
507	0.05
526	0.10
525	0.21
506	0.19
467	0.06
466	0.08
359	0.15
358	0.10
356	0.02
355	0.02
281	0.08
256/1	0.09
255	0.04
249	0.14
246	0.04
245	0.01
243	0.08
241	0.07
236	0.08
474	0.18
	योग : 12.49

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-426-**संशोधित.**—पृष्ठा. क्र. क्यू-भू-अर्जन-3092 दिनांक 8 फरवरी 2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 शाखा के निर्माण हेतु ग्राम सोन्हर तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 7.16 हेक्टेयर अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के तहत दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. शासन, राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25 फरवरी 2011 को पृष्ठ क्रमांक 530 से 532 पर तथा समाचार-पत्र, राज एक्सप्रेस, दिनांक 28 फरवरी 2011 एवं सत्ता सुधार, दिनांक 28 फरवरी 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24930/11 है:—

ग्राम सोन्हर—I तहसील नरवर जिला शिवपुरी

संशोधित प्रविष्टि

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	स्थिति	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
2702	0.11	पूर्व में प्रकाशित	विलोपित
2134	0.10	–''–	–''–
2162	0.04	–''–	–''–
2140	0.11	–''–	–''–
1217	0.01	–''–	–''–
1216	0.07	–''–	–''–
1176	0.05	–''–	–''–
958	0.01	–''–	–''–
1008	0.02	–''–	–''–
1256	0.01	–''–	–''–
1059	0.06	–''–	–''–
995	0.05	–''–	–''–
999	0.15	–''–	–''–
1053	0.02	–''–	–''–
1049	0.02	–''–	–''–
1048	0.08	–''–	–''–
1048/1	0.02	–''–	–''–
1047	0.25	–''–	–''–
1013	0.15	–''–	–''–
1023	0.31	–''–	–''–
1024	0.09	–''–	–''–
1025	0.15	–''–	–''–
1026	0.01	–''–	–''–
2132	0.12	–''–	पढ़ा जावे (संशोधित प्रविष्टि)
2131	0.11	–''–	–''–
2130	0.44	–''–	–''–
2139	0.12	–''–	–''–
2143	0.12	–''–	–''–
2107	0.08	–''–	–''–
1044	0.11	–''–	–''–
1997	0.15	–''–	–''–
1274	0.06	–''–	–''–
1262	0.07	–''–	–''–
1231	0.05	–''–	–''–
1232	0.08	–''–	–''–
1204	0.02	–''–	–''–
1203	0.01	–''–	–''–
1233	0.07	–''–	–''–
1234	0.07	–''–	–''–
1236	0.07	–''–	–''–
1239	0.08	–''–	–''–
1208	0.09	–''–	–''–
1178	0.04	–''–	–''–
1171	0.04	–''–	–''–
1169	0.05	–''–	–''–
1168	0.04	–''–	–''–
1167	0.12	–''–	–''–
1075	0.06	–''–	–''–
1057	0.24	–''–	–''–
1056	0.27	–''–	–''–
1055	0.09	–''–	–''–
1054	0.10	–''–	–''–
1037	0.09	–''–	–''–
1007	0.03	–''–	–''–
997	0.03	–''–	–''–
2061	0.16	पूर्व में प्रकाशित	पढ़ा जावे (संशोधित प्रविष्टि)
2062	0.09	–''–	–''–
2056	0.02	–''–	–''–
2055	0.05	–''–	–''–
2020	0.06	–''–	–''–
2014	0.03	–''–	–''–
2015	0.12	–''–	–''–
2017	0.06	–''–	–''–
2018	0.07	–''–	–''–
2019	0.07	–''–	–''–
1261	0.04	नवीन प्रस्तावित	पढ़ा जावे
1275	0.12	–''–	–''–
1077	0.05	–''–	–''–
1046	0.07	–''–	–''–
1005	0.14	–''–	–''–
1240	0.01	–''–	–''–

(1)	(2)	(3)	(4)
1045	0.08	नवीन प्रस्तावित	पढ़ा जावे
2121	0.02	–''–	–''–
2122	0.07	–''–	–''–
2120	0.18	–''–	–''–
2117	0.21	–''–	–''–
2118	0.04	–''–	–''–
2119	0.08	–''–	–''–
1036	0.16	–''–	–''–
1251	0.05	–''–	–''–
1205	0.17	–''–	–''–
1207	0.06	–''–	–''–
1201	0.05	–''–	–''–
1200	0.03	–''–	–''–
1184	0.02	–''–	–''–
1163	0.02	–''–	–''–
1164	0.09	–''–	–''–
1165	0.08	–''–	–''–
1250	0.02	–''–	–''–
1078	0.01	–''–	–''–
1995	0.01	–''–	–''–
1996	0.02	–''–	–''–
2696	0.04	पूर्व में प्रकाशित	यथावत् प्रविष्टि
2715	0.18	–''–	–''–
1238	0.03	–''–	–''–
2713	0.19	–''–	–''–
2704/3, 2704/4, 2704/5, 2704/6, 2704/7	0.45		
2133	0.02	–''–	–''–
2064	0.06	–''–	–''–
2059	0.03	–''–	–''–
2060	0.04	–''–	–''–
2024	0.08	–''–	–''–
1235	0.05	–''–	–''–
1177	0.10	–''–	–''–
1173	0.06	–''–	–''–
1172	0.02	–''–	–''–
1170	0.04		
1058	0.06	–''–	–''–
योग :	7.20		

पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

क्र.-क्यू.-भू-अर्जन-2012-428.—चूंकि, राज्य शासन को इस बाद का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—गनियार

(घ) कुल क्षेत्रफल—10.97 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
770	0.03
771	0.03
1249	0.29
779	0.06
1252	0.01
67	0.15
845/1	0.24
796	0.30
845/2	0.20
1250	0.06
1284	0.23
427	0.06
950	0.08
1015	0.02
988	0.04

(1)	(2)
982	0.04
968	0.04
967	0.04
966	0.04
318	0.01
208	0.01
691	0.05
692	0.01
320	0.04
744	0.20
20	0.01
450	0.03
429/1, 429/2, 429/3	0.06
852/1, 852/2, 852/3, 852/4	0.15
68/1, 68/2, 68/3/1, 68/3/2, 68/3/3	0.40
1291	0.10
1292	0.12
1293	0.18
1283	0.10
1214/5	0.35
1214/4	0.05
1214/6	0.03
1214/3	0.08
1200/1	0.15
1200/2	0.10
1199	0.26
839	0.05
841	0.01
842	0.03
843	0.16
813	0.02
810	0.12
818	0.03
805	0.11
804	0.20
795	0.08
783	0.14
781	0.11
778	0.14
780	0.02
775	0.03

(1)	(2)
773	0.01
774	0.01
455	0.05
400	0.02
739	0.04
712	0.02
621	0.10
83	0.02
446	0.02
786	0.03
845/3	0.08
844	0.06
559	0.02
79	0.15
631	0.02
1285	0.16
1294	0.07
1295	0.06
466	0.10
453	0.05
451	0.15
447	0.01
737	0.01
428	0.02
416	0.04
403	0.02
22	0.06
415	0.08
402	0.01
630	0.03
426	0.04
405	0.01
425	0.04
401	0.03
404	0.01
406	0.02
1019	0.02
1016	0.02
1021	0.06
1020	0.02

(1)	(2)
1014	0.03
1017	0.03
1024	0.02
991	0.02
990	0.03
989	0.02
984	0.02
983	0.03
229	0.02
230	0.04
81	0.08
231	0.02
301	0.02
645	0.08
648	0.06
651	0.06
312	0.02
313	0.04
314	0.04
315	0.02
316	0.02
302	0.02
317	0.04
322	0.03
321	0.02
562	0.04
310	0.02
563	0.04
564	0.04
560	0.03
565	0.02
582	0.04
586	0.05
647	0.12
696	0.05
612	0.08
614	0.01
620	0.02
622	0.03
633	0.01
632	0.05
635	0.03
634	0.05
650	0.02
649	0.01
690	0.02
689	0.03
693	0.02
701	0.04
702	0.04
706	0.03
713	0.03
707	0.04
716	0.03
717	0.03
738	0.06
92/1, 92/2, 92/3	0.20
23/1, 23/2	0.15
745/1, 745/2	0.06
82	0.11
90	0.04
91	0.13
80	0.15
21	0.10
19	0.04
18	0.06
9	0.05
10	0.03
467	0.07
454	0.03
410	0.04
407	0.08
408	0.09
722	0.09
योग :	10.97

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगस्ली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 29 मार्च 2012

प्र. क्र. 7-अ.-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-2657.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—मयावाड़ी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—61
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.644 हेक्टयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
155/4	0.372
155/5	0.142
157/3	0.065
157/1	0.065
योग :	0.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—रिधोरा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-2660.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—खापा विरान
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—78
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—12.046 हेक्टयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
34	0.274
37	0.113
86/1	0.405
87	0.202
100/1	1.672
100/2	1.673
100/3	1.673
101/1	1.942
101/2	1.288
104/2	0.324
104/3	1.157
107/1	0.918
107/2	0.405
योग :	12.046

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पाढरी लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-2647,—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—खड़की
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—78
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—23.183 हेक्टयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
150/1	0.150
150/2	0.129
153/3	0.097
154	0.069
155	0.089
205/1	0.129
254/3	0.125
205/2	0.149
254/2	0.074
254/1	0.125
257	0.255
258	0.255
260	0.270
264	0.052
265	0.072
266/1	0.072
267	0.072
276	0.124
278	0.024
327	0.194
340/1	1.121
282/1	0.210
283/1	0.279
284	0.283
286/1	0.198
287	0.045
289	5.584
290	1.321
326/1	0.153
348	1.072
335	0.324
337/1	0.919
337/3	0.081
340/2	3.405
342	1.497
343	1.376
344	1.628
345	0.728
347/2	0.113
349	0.041
375	0.279
योग :	23.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पांढरी लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-2649.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—सांईखेड़ा

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—14

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.360 हेक्टयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
110	0.300
221/1	0.060
योग . .	0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सांईखेड़ा लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-2650.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—एकलहरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—114
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—8.757 हेक्टयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
271	0.045
272	0.070
274	1.344
275	1.240
277	0.154
276	0.650
278	0.146
282	4.642
285	0.180
270/1	0.286
योग . .	8.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—बोरगांव लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ.-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-2651.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—हिड़ली
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—114
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—11.37 हेक्टयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
260	0.202
256/3	0.446
256/5	0.607
271/4	0.607
256/4	0.850
271/5	0.809
256/6	0.364
256/8	0.202
271/2	0.202
256/7	0.566
271/3	0.202
256/1	0.972
271/1	0.876
248/2	0.305
247/2	0.235
266/2	1.919
265/2	0.826
259	0.160
266/3	0.210
266/4	0.154
266/5	0.218
266/7	0.264
266/16	0.017
266/15	0.074
266/18	0.008
248/3	0.075
योग . .	11.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—बोरगांव लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 31 मार्च 2012

प्र. क्र. 8-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-2853ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—बोरगांव उर्फ शेरगढ़
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—84
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—37.403 हेक्टयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
286	0.940
284/1	0.970
284/3	1.490
284/4	0.460
284/2	0.080
360/2	0.120
44/3	1.607
295/1	0.310
295/4	0.150
295/2	0.375
295/3	0.150
295/5	0.150
288/5	0.080
295/6	0.150
296	0.676
293	0.084
297	1.530

(1)	(2)
309	1.342
294	0.058
298	0.287
301	0.833
299	0.299
302	1.307
43	0.603
303/1	0.775
303/3	0.206
304	0.603
303/2	0.982
42	0.035
17	0.049
16	0.883
14/2	1.271
323	0.382
325	0.018
324	0.129
322/2	1.942
318/1	0.300
318/4	0.195
318/5	0.241
315	0.250
306/1	0.918
308/1	0.350
306/2	0.915
308/3	0.593
310/1	0.883
310/2	0.809
287	0.241
288/1	0.064
288/3	0.043
288/4	0.077
363/11	0.203
318/6	0.175
360/6	0.340
360/4	0.050
360/3	0.120
360/1	0.225
360/5	0.017
360/8	0.080
360/7	0.040
361	0.243
316	0.440
312	1.540
308/2	0.627
300/1	0.810
300/2	0.809
14/1	0.208
15/1	0.638
14/3	0.300
15/2	0.212
321/2	1.214
321/1	0.580
322/1	0.820
322/3	0.307
411/1	0.027
412	0.040
254/1	0.054
318/3	0.070
288/7	0.009
योग . .	37.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—शेरगढ़ लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.-भू-अर्जन-29-अ-82-वर्ष-2011-2012-234.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—पड़रिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—49.84 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि—	
385	0.360
384/3	0.360
384/4	0.660
386	0.400
391	0.670
377	0.800
387	0.430
388	0.340
389	0.410
390	0.180
393	0.240
394	0.150
395	0.570
396	2.260
398/1	0.950
398/2	0.800
398/3	0.400
398/4	0.400
402	0.710
403	0.840
404	0.840
406	3.640
408/1	0.260
408/2	2.060
409	1.750
416/1	2.510
416/2	1.200
417	1.260
418	1.390
419	1.680
420	1.720
421	2.100
422/1	1.490
422/2	1.200
422/3	0.400
422/4	2.400
422/5	0.800
423	0.550
424	0.350
425	2.650
426	1.560
427	0.240
428	1.780
429	3.000
430	1.080
योग शीर्ष कार्य निजी भूमि :	49.840
शासकीय भूमि—	
405, 411, 407	4.080
सकल योग . .	53.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—सारंगपुर पड़रिया जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-31-अ-82-वर्ष-2011-2012-237.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—कैलवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.73 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि—	
289	0.020
291	0.060
294	0.170
296	0.110
334	0.140
332	0.150
331/1, 331/2	0.090
328	0.100
329	0.010
327	0.020
323	0.180
303	0.060
302	0.020
301	0.080
300	0.010
282	0.110
283	0.110
279	0.120
278/1	0.055
278/2	0.055
268	0.230
223	0.210
34	0.080
270	0.090
271	0.080
224	0.030
222	0.100
36	0.080
221	0.120
227	0.070
226	0.130
231	0.080
237	0.080
235	0.090
38	0.050
27	0.050
234	0.110
161	0.150
162	0.090
35	0.110
31	0.030
योग निजी भूमि :	3.730
नहर कार्य निजी भूमि—	
290, 295, 324, 304, 276, 32	0.530
सकल योग :	4.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—नागदमन जलाशय योजना के अन्तर्गत दायी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-36-अ-82-वर्ष-2011-2012-236.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—बालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
दॉयी तट नहर कार्य—	
81	0.070
83	0.030
84	0.100
85	0.020
91	0.060
92/1	0.060
93	0.030
94	0.060
95/1	0.040
99	0.030
98	0.070
102	0.070
104	0.040
105	0.100
110	0.020
योग निजी भूमि :	0.800
शासकीय भूमि—	
31,32,41,90,103, 223, 107	0.56
योग शासकीय भूमि :	0.56
कुल योग :	1.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—रकरिया जलाशय योजना के अन्तर्गत दॉयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-44-अ-82-वर्ष-2011-2012-235.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—सिंघपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
नहर कार्य—	
553	0.05
559	0.06
547/1	0.045
547/2	0.045
535/1	0.05
535/2	0.05
535/3	0.05
529	0.06
530	0.03
525	0.03
524	0.03
योग निजी भूमि :	0.500
शासकीय भूमि—	
560, 536	0.08
योग शासकीय भूमि :	0.08
कुल योग :	0.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—नीमटोला डायवर्सन स्कीम के अंतर्गत नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-55-अ-82-वर्ष-2011-12-240.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—गोपालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
शीर्ष कार्य निजी भूमि	
171/1	1.230
171/2	1.230
170	0.050
110	1.470
108	0.520
105	0.410
104	0.050
102	0.060
91	0.730
88	1.080
65	0.120
9/1	0.020
11/1	0.260
14	0.260
21	0.070
22	0.980
34	0.060
36	0.770
32/1	0.630
32/2	0.800
46	0.730
46/300	1.040
50	0.270
48	0.200
177	2.520
173	0.570
172/1	1.110
172/2	1.110
49	0.960
52/1	0.180
52/2	0.020
112/1	0.040
112/2	0.040
111/1	0.260
111/2	0.250
113	0.030
90	0.250
169/1	0.020
169/2	0.020
165/1	0.010
165/2	0.010
योग शीर्ष कार्य निजी भूमि :	20.440
शासकीय भूमि	
114, 106, 103, 89, 66, 53, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 33, 35, 37, 39, 51, 174, 247, 187, 168, 121, 218, 178	5.870
सकल योग :	5.870
कुल योग :	26.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-69-अ-82-वर्ष-2011-12-238.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—बजौरी रै.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.064 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
निजी भूमि—	
212	0.064
योग :	0.064
शासकीय भूमि—	
213	0.016
योग :	0.016
कुल योग :	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—भाखा डयवर्सन स्कीम के अन्तर्गत दायीं तट नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-76-अ-82-वर्ष-2011-12-239.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बरसिंघा माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.122 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
निजी भूमि—	
839	0.963
840	0.570
842	0.135
843	0.106
844	0.055
845	0.382
818	0.072
817	0.043
815	0.076
814	0.168
812	0.039
813	0.650
852	0.038
845	0.176
844	0.024
843	0.108
826	0.040
825	0.032
824	0.116
810	0.108
809	0.040
808	0.040
798	0.040
799/2	0.040
802	0.060
योग :	4.122
शासकीय भूमि—	
846, 849, 847	8.276
योग :	8.276
कुल योग :	12.398

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—भाखा डयवर्सन स्कीम के अन्तर्गत शीर्ष एवं दायीं तट नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्र.-दस-भू-अर्जन-फा. 552-प्र.क्र. 9-अ-82-2010-11-1516.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—अटरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.474 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
560	0.344
561/2	0.130
योग :	0.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—अटरिया जलाशय योजना नहर से प्रभावित ग्राम अटरिया की 0.474 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2012

भू-अर्जन- प्र.क्र. 1अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पंधाना
(ग) नगर/ग्राम—पलसियापानी, राजस्व निरीक्षक मण्डल, पंधाना.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1201	2.49
1202	2.40
1211	1.20
	योग : 6.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—विकासखण्ड पंधाना में पलसियापानी तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम बोरगांव (पलसियापानी) में तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 31 मार्च 2012

भू-अर्जन- प्र.क्र.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख) तहसील—हरसूद
(ग) ग्राम—डाबिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.42 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132/1	0.98
132/2	0.55
133/1	0.28
133/2	0.96
134	0.28
144	0.09
167	0.45
168	0.33
169	0.10
171	0.52
125/1	0.20
125/2	0.40
126/1	0.21
192	0.08
95	2.68
98	0.55
77	0.83
100	0.65
102/1	1.35
102/2	1.15
102/3	0.51
72	0.07
76	0.02
67	0.16
68/2	0.02
	योग : 13.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—मेढ़ापानी तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 15-अ-82 वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—रसूलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.750 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
270/2	0.210
207/1	0.020
206	0.210
205	0.140
174	0.200
172	0.130
171/1	0.140
169	0.020
171/3	0.250
168/2	0.020
171/4	0.040
150	0.330
152	0.640
153	0.020
138	0.180
122	0.480
119	0.340
118	0.180
116	0.080
115	0.120
योग :	3.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाहय नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82 वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—सनाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.330 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
205	0.240
206	0.150
207	0.360
208	0.190
202	0.330
198	0.080
197	0.450
170	0.270
171	0.010
169	0.170
167	0.410
166	0.200
165	0.190
164	0.340
163	0.160
162	0.370
161	0.370
209	0.090
218	0.170
289	0.370
210	0.370
211	0.130
212	0.130
213	0.130
217	0.130
219	0.260
181	0.480
180	0.010
182	0.020
188	0.230
187/2	0.010
186	0.080
160	0.140
159	0.140
158	0.860
157	0.290
150	0.740
142	0.140

(1)	(2)
149	0.200
156	0.090
178	1.080
146	0.360
301	0.390
योग :	11.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाहय नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18 अ-82 वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—धन्सरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.150 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
426	0.140
416	0.070
425/2	0.010
358	0.530
359/3	0.040
417	0.340
418	0.050
419	0.050
420/1	0.090
420/4	0.200
421	0.230
422	0.050
360	0.580
359/2	0.070
365	0.190
370	0.450
371	0.070
331	0.230
280	0.040
279/3	0.110
279/1	0.260
279/2	0.170
279/5	0.040
278/1	0.140
योग :	4.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाहय नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 9 अप्रैल 2012

संशोधन

क्र. 569-वाचक-प्र. क्र. 07 (अ-82) 2011-12.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 07-अ-82-2010-11, ग्राम बंजारी, तहसील मनावर में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 06 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 644-45, दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं दो समाचार-पत्रों क्रमश: ''प्रभातकिरण'' में दिनांक 02 मार्च 2012 एवं ''नवभारत'' में दिनांक 02 मार्च 2012 क्षेत्रफल 8.335 हैक्टर का प्रकाशन हो चुका है.

इसमें शासकीय सर्वे नम्बर 27/1/1/1 में स्थित एक पक्का मकान नहर निर्माण के अंतर्गत प्रभावित होने से अधिग्रहण किये जा रहे हैं. शेष प्रविष्टि पूर्वानुसार यथावत् रहेगी.

संशोधन

क्र. 575-वाचक-प्र. क्र. 08 (अ-82) 2011-12.—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2010-11, ग्राम कलालदा, तहसील मनावर में मध्यप्रदेश भू-अर्जन अधिनियम की धारा 06 की उद्घोषणा का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 642, दिनांक 24 फरवरी 2012 एवं दो समाचार-पत्रों क्रमश: ''प्रभातकिरण'' में दिनांक 02 मार्च 2012 एवं ''नवभारत'' में दिनांक 02 मार्च 2012 क्षेत्रफल 6.565 हैक्टर का प्रकाशन हो चुका है.

शासकीय सर्वे नम्बर 195 में स्थित दो कच्चे मकान नहर निर्माण के अंतर्गत प्रभावित होने से अधिग्रहण किये जा रहे हैं. शेष प्रविष्टि पूर्वानुसार यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. C-2270-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 156 दिवस (एक सौ छप्पन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री गिरीश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन का नियुक्ति दिनांक	:	24-11-1981
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-12-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 24-11-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	5 वर्ष 3 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 9 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	5×15=75 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	24=12×15=180 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	255 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	35 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	220 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को शेष अर्जित अवकाश 156 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-2272-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री नवल किशोर गर्ग, सेवानिवृत्त, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री नवल किशोर गर्ग, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर का नियुक्ति दिनांक	:	28-2-1974
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-1-2012
3.	नियुक्ति दिनांक 28-2-1974 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	13 वर्ष
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 10 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	13 ×15=195 दिन

6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	24=12×15=180 दिन.
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	375 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	89 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	286 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2012 को शेष अर्जित अवकाश 240 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-21-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-2274-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री मुकेश सिंह, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 93 दिवस (तिरानबे दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री मुकेश सिंह, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ग्वालियर का नियुक्ति का दिनांक.	:	19-9-1981
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-12-2011
3.	नियुक्ति दिनांक 19-9-81 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	5 वर्ष 5 माह
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	24 वर्ष 9 माह
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	5×15=75 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता(1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	24=12×15=180 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	255 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	.....
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	255 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2011 को शेष अर्जित अवकाश 93 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-21-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-2276-दो-2-66-07.—श्री आर. के. गोस्वामी, सेवानिवृत्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 19 मार्च 2012

क्र. D-1272-दो-2-8-2010.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-1274-दो-2-38-2010.—श्री राजीव कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 9 से 10 फरवरी 2012 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 25 जनवरी 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C-2307-दो-2-37-2011.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-डी-641, दिनांक 8 फरवरी 2012 के अंतर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 21 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक ग्यारह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 2 जनवरी 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C-2312-दो-2-39-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-2314-दो-3-6-12.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-2316-दो-3-47-2006.—श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-2318-दो-2-4-2012.—डॉ. अनिल ठाकरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2012

क्र. C-2479-दो-2-6-2012.—श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे./ओ.एस.डी.(निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 24 अक्टूबर 2011 से 17 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 117 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18, 19 एवं 20 फरवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे./ ओ.एस.डी.(निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ए. डी. जे./ओ.एस.डी.(निरीक्षण एवं सतर्कता) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2486-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 जनवरी 2012 से 9 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-2488-दो-2-37-2007.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 2 से 13 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1410-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 27 जनवरी 2012 से 1 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1412-दो-2-10-2005.—श्री उदय सिंह बहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उदय सिंह बहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उदय सिंह बहरावत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1419-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 19 से 20 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1421-दो-3-14-2005.—श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 6 से 10 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 फरवरी 2012 के एवं पश्चात में दिनांक 11 से 12 फरवरी 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1423-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र प्री. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 से 15 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

क्र. C-2490-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 13 फरवरी 2012 से 7 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 से 12 फरवरी 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-2492-दो-2-19-2008.—श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 8 से 18 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 फरवरी 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2494-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक तीन दिन के शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 7 जनवरी 2012 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 374-गोपनीय-2012-दो-3-250/57 (भाग-31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी) 6-2011-21-ब (एक) (मेरिट क्रमांक-15) दिनांक 7 जनवरी 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुमित शर्मा	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. डी-1225-तीन-6-4/81-भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई-3154-तीन-6-4/81-भाग-चार, दिनांक 27 जुलाई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री महेश कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, सतना.	नयागांव, बरौंधा, मझगवां, सिंहपुर, सभापुर तथा धारकुंडी.	विशेष न्यायालय, सतना

No. D-1225-III-6-4/81-Pt.-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E-3154-III-6-4/81-Pt.-IV

dated 27th July 2011, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Mahesh Kumar Sharma, Additional Sessions Judge, Satna.	Nayagaon, Baroundha, Majhganva, Singhpur, Sabhapur & Dharkundi	Special Court Satna.

क्र. डी-1227-तीन-6-4/81-भाग-सात.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई-3944-तीन-6-4/81-भाग-6, दिनांक 14 सितम्बर 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी.	राजस्व जिला शिवपुरी	विशेष न्यायालय, शिवपुरी

No. D-1227-III-6-4/81-Pt.-VII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E-3944-III-6-4/81-Pt.-VI dated 14th September 2011, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Ramesh Kumar Shrivastava ASJ, Shivpuri	Revenue District, Shivpuri	Special Court, Shivpuri

क्र. डी-1229-तीन-6-4/81-भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-106-तीन-6-4/81-भाग-पांच, दिनांक 15 जनवरी 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शिशिर कांत चौबे, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) श्योपुर.	राजस्व जिला, श्योपुर	विशेष न्यायालय, श्योपुर.

No. D-1229-III-6-4/81-Pt.-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. C-106-III-6-4/81-Pt.-V dated 15th January 2009, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Shishir Kant Choubey, Special Judge, SC/ST(POA) Act, Sheopur.	Revenue District, Sheopur	Special Court, Sheopur

क्र. डी-1231-तीन-6-4/81-भाग-सात.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-1715-तीन-6-4/81-भाग-चार, दिनांक 19 जून 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती ऊषा क्षोत्रीय, अपर सत्र न्यायाधीश, मुरैना.	राजस्व जिला मुरैना	विशेष न्यायालय, मुरैना

No. D-1231-III-6-4/81-Pt.-VII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No.C-1715-III-6-4/81-Pt.-V dated 19th June 2008, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Smt. Usha Shotriya, Additional Sessions Judge, Morena,	Revenue District, Morena	Special Court, Morena

क्र. डी-1233-तीन-6-4/81-भाग-सात.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ई-1417-तीन-6-4/81-भाग-चार, दिनांक 17 मार्च 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	राजस्व जिला छतरपुर	विशेष न्यायालय, छतरपुर

No. D-1233-III-6-4/81-Pt.-VII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act. No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E-1417-III-6-4/81-Pt.-IV dated 17th March 2011, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Krishna Murty Mishra Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Revenue District, Chhatarpur.	Special Court, Chhatarpur

अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी. ई.)